भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 897

उत्तर देने की तारीख : 06.12.2021

एमएसएमईज को विलंबित भुगतानों से संबंधित

897. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज) द्वारा विलंब भुगतान से संबंधित कुल कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(ख) : उक्त अवधि के दौरान ऐसे मामलों से एमएसएमईज को कुल कितनी राशि देय है;

(ग) : विगत तीन वर्षों से ऐसे कितने मामले अभी भी लंबित हैं;

(घ) : ऐसे मामले जिनका निपटान हो चुका है, में कुल कितनी राशि शामिल है; और

(ङ) : 'समाधान' पोर्टल के माध्यम से विलंब भुगतान शिकायत से संबंधित कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क) से (ङ) : समाधान पोर्टल पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा विलंबित भुगतान की शिकायतें दर्ज की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों में समाधान पोर्टल पर (एमएसई द्वारा) विलंबित भुगतान से संबंधित दर्ज शिकायतों की कुल संख्या 96,771 है। इस प्रकार के मामलों से संबंधित एमएसई को देय कुल राशि 25,404.33 करोड़ रुपए है। विगत तीन वर्षों में अभी भी जो लंबित है उन मामलों की कुल संख्या 26,893 है। विगत तीन वर्षों में निपटाए गए इन मामलों में सन्निहित कुल राशि 2,905.15 करोड़ रुपए है।

****